

सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम.....

नाईदमराय बनाम पोतराय वर्या

किस्म मुकदमा 111/28 Relact नं. 108/2020 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>15.06.2020</p> <p>06/07/2020</p>	<p>प्राथी/वादी/अपीलेंट के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान कायदाकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रिस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांकको पेश हो।</p> <p>प्राथी व वकील उपस्थित। विप्राथीगणों के नोटिस तामील बुझा जात जिसे शामिल पत्रावली विभा उभा। विप्राथीगण बाफजुस तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बजे आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्राथीगण स्वयं सा उनही कौर के कौर अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ सिद्दाजा उनके पिरुड एडवोकेट कार्यवाही कमल में लाई जाली है। प्राथी के अधिवक्ता की एडवोकेट वदल सुनी गई प्राथी के अधिवक्ता द्वारा वदल की प्राथी व विप्राथीगणों के प्यारेदारी प्येत लेन लेन हुये हुए है। प्राथी व विप्राथीगणों के प्यारेदारी प्येतों के मध्य जो पुरानी माहे व कणे माये हुए थे जो पलमान में अधिप्राथी की वजह से बिबर जाये है। जिन कारण प्राथी</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>

111/28
06.07.2020
सहायक कलक्टर (SDO)
बायद

6.7.2020



व विपरीतियों के मध्य खेत के लेनों को लेइ
 हमेशा बनाजा बना रहता है। इसलिए प्राणी को
 अपने खानेदारी खेतों की पक्षी नेधमवनी डरना
 काव्यथु है इसलिए प्राणी को नेधमवनी कोइस
 स्वीकार किया जाइत नेधमवनी कोइस विप्रा जाइ।

फल: प्राणी कोइस वक्त के निकसन
 पर प्राणी को नेधमवनी कोइस स्वीकार विप्रा जाइ
 तहसीलदार वरपुत को डमिरान व संबंधित भू-अभि-
 लेख निरिस्त को सहायु डमिरान निधुक्त विप्रा जाइ
 कोइस विप्रा जाइ है कि कोइस रूपे या सहायु डमि-
 शानर से प्राणी के खानेदारी खेतों की पक्षी नेधम-
 वनी कोइस पर डमिरान बुलु जमाडाइत को, पालना
 रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पञ्जावली की, पञ्जावली
 फैसल बुमार है, इज नाम्बा के डम ही दाखिल इफ्तार है।

6.7.2020

आवेदन /
 आवेदन संख्या
 प्रार्थी
 आईदानराम पुत्र मोतीराम
 जाति जाट निवासी-धोला
 बोडवा तहसील-बायतु
 जिला-बाइमेर
 प्रार्थना पत्र अ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

दिनांक:- 6/7/2020

/आवेदन/2020/465
स्व आवेदन संख्या -109/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

आईदानराम पुत्र मोतीराम
जाति जाट निवासी-धोलानाडा,
बोडवा तहसील-बायतु,
जिला-बाड़मेरश्री पोकरराम पुत्र उमाराम वगैरा 13,
जाति जाट निवासी - धोलानाडा,
बोडवा तहसील-बायतु,
जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धोलानाडा हल्का बोड़वा तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 152/93 रकबा 6.2859 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 92 रकबा 0.0728 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(विवेक व्यास)


उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:-

क्रमांक/आवेदन/2020/466-70

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री आईदानराम पुत्र मोतीराम।
4. विप्रार्थीगण श्री पोकरराम पुत्र उमाराम वगैरा 13।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।



उपखण्ड अधिकारी बायतु